(56)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 582–दो/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–3–2015 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर – प्रकरण कमांक 145/2010–11 अपील

जाकिर पुत्र कलालखॉ मुसलमान
ग्राम वालापुर तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

1– सुरेश चन्द्र पुत्र शिवचरण तिवारी
2– श्रीमती उर्मिलावाई पत्नि स्व0रमेशचंद
3– कु.आशा 4– कु. सोनम 5– कु. बिन्दु
तीनों पुत्रियां स्व.रमेश चन्द
6– हेमन्तकुमार पुत्र स्व. रमेश चन्द
नावालिक सरपरस्त माता श्रीमती उर्मिलावाई
निवासीगण मैन बाजार श्योपुर, मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 7 – 1 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 145/2010–11 अपील में पारित आदेश दि. 16–3–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर बताया कि कस्वा श्योपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1559 रकबा 4 वीघा 3 विसवा राजस्व अभिलेख में उसके पिता कमाल खॉ जाति गद्दी के नाम भूमि

स्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही है किन्तु अनावेदकगण ने सॉठगॉठ करके संबत 2020 से 2024 के खसरा पंचशाला में अपने नाम की फर्जी प्रविष्टि करवाली है एंव भूमि हडप्प कर लिया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय व्दारा फर्जी तौर पर किया गया पारित आदेश निरस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 145/2010-11 अपील पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की, जिस पर सुनवाई की तिथि 16-3-15 को आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शीध्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने इसी तिथि को आर्डरशीट पर प्रकरण आगामी पेशी 9-4-15 शीध्र सुनवाई के आवेदन पर तर्क हेतु नियत की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि जब अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील दिनांक 4-5-2010 को प्रस्तुत हुई एंव प्रकरण का शीध्र निराकरण नहीं किया जा रहा है तब शीध्र सुनवाई का आवेदन दिनांक 16-3-15 को मजबूरी में देना पड़ा, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने शीध्र सुनवाई न करते हुये प्रकरण 9-4-15 को तर्क हेतु लगाने में गलती की है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब तक अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त नहीं हो जाता, प्रकरण में अंतिम सुनवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथोचित बताया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय का मामला क्रमांक 145/2010-11 अपील के अवलोकन पर पाया गया कि जब तक अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त नहीं हो जाता, मामले में अंतिम तर्क नहीं सुने जा

सकता। इसके साथ ही आवेदक व्दारा प्रस्तुत शीध्र सुनवाई के आवेदन पर भी तब तक पेशी नहीं बदली जा सकती, जब तक की दूसरे पक्ष को न सुन लिया जावे। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-3-2015 में किसी प्रकार की अनियमितता किया जाना अथवा पक्षपात किया जाना परिलक्षित नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 145/2010-11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दि. 16-3-2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर